न्यायालय परगनाधिकारी चाँदपुर।

वाद सं0 79/17 (T201514170239998)
मौजा–नूरपुर
जियाउद्दीन पुत्र अ0 रशीद अध्यक्ष ग्राम सेवा मण्डल जोतहिमा, बनाम सरकार
ग्राम–जगूपुरा, पो0–मौजमपुर सूरज

धारा 80 एण्ड 81 उ0प्र0रा0 संहि0
परगना–बूढ़पुर

प्रतिलिपि **निर्णय** तारीक फैसला 21-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जियाउद्दीन पुत्र अ0 रशीद अध्यक्ष ग्राम सेवा मण्डल जोतहिमा ग्राम जगूपुरा, पो0–मौजमपुर सूरज, परगना बूढ़पुर तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र एवं तहसील चाँदपुर की आख्या अन्तर्गत धारा 80 एण्ड 81 उ0प्र0रा0 संहि0 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

तहसीलदार चाँदपुर के द्वारा अपनी आख्या दिनाँक 01.02.2017 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम–नूरपुर, परगना बूढ़पुर तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर कि खाता सं0 00423 के ख0न0 115 मि0क्षे0 0.4550 हे0 बकदर भाग 0.152 हे0 व खाता सं0 00423 के ख0न0 115 क्षेत्रफल 0.4550 हे0 के बकदर भाग 0.152 हे0 कुल भूमि 0.304 हे0 पर खातेदार जियाउद्दीन पुत्र अ0 रशीद अध्यक्ष ग्राम सेवा मण्डल जोतहिमा, ग्राम – जगूपुरा, पो0–मौजमपुर सूरज, परगना बूढ़पुर तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर का नाम खातेदार के रूप में बतौर संकमणीय दर्ज है तथा उक्त के स्वामित्व व कब्जे में है मौके पर इस भूमि पर कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुकुट पालन का कार्य आदि नही हो रहा है। मौके पर स्कूल भवन पर बना है निर्माणाधीन है।

अतः ग्राम नूरपुर परगना बूढ़पुर तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर खाता सं0 00423 के ख0न0 115 मि0क्षे0 0.4550 हे0 बकदर भाग 0.152 हे0 व खाता सं0 00423 के ख0न0 115 क्षेत्रफल 0.4550 हे0 के बकदर भाग 0.152 हे0 कुल भूमि 0.304 हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति की गई है। वादी की ओर से फर्द, खसरा खतौनी सी0एच0 45 दाखिल किये गये है। नामिका वकील एवं अन्य किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तत नही की गयी है।

वादी का कथन है कि ग्राम नूरपुर परगना बूढ़पुर तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर खाता सं0 00423 के ख0न0 115 मि0क्षे0 0.4550 हे0 बकदर भाग 0.152 हे0 लगान 50.00रू0 खाता सं0 00423 के ख0न0 115 0.4550 हे0 बकदर भाग 0.152 हे0 लगान 50.00 पर भूमि पर कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुकुट पालन का कार्य आदि नही हो रहा है। और अकृषिक घोषित करने हेतु प्रार्थना की गयी है।

मैने पत्रावली का भलि–भाँति अवलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता के तर्को के आधार पर तहसील चाँदपुर की आख्या दिनाँक 01.02.2017 स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार चाँदपुर की आख्या दिनांक 01.02.2017 स्वीकार की जाती है। ग्राम –नूरपुर ,परगना बूढ़पुर तहसील–चादंपुर,जिला बिजनौर की खाता सं0 00423 के ख0न0 115 मि0 क्षे0 0.4550 हे0 के बकदर भाग 0.152 हे0 लगान 50.00 रू0 एवं खाता सं0 00423 के ख0न0 115 मि0 क्षे0 0.4550 हे0 के बगदर भाग 0.152 हे0 लगान 50–00 रू कुल भूमि 0.304 हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार एवं उपनिबन्धक चांदपुर को भेजी जाये। तदानुसार अमल दरामद दर्ज कागजात हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक 21/03/2017
उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

आजाद भगत सिंह
परगनाधिकारी चाँदपुर

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपि अधिकारी
राजस्व अभिलेख कक्ष

प्रार्थनापत्र का नं0 2458
प्रार्थनापत्र का दिनांक 30/01/17
प्रतिलिपि तैय्यारी का दिनांक 06/03/17
प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक 08/03/17
स्टाम्प मूल्य 13 रुपये
शब्दों की संख्या 58

दिनांक 21/03/2017

आजाद भगत सिंह
परगनाधिकारी चाँदपुर

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता